संख्या:29/2018/1084/35-4-2018

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
2- समस्त मण्डलायुक्त।
3-समस्त जिलाधिकारी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनाँक 24 सितम्बर,2018

विषय : त्वरित आर्थिक विकास योजना के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त।

महोदय,

प्रदेश में कार्यान्वित त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त शासनादेश सं0-1459/35-आ-1/2012-13 दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 द्वारा निर्गत किये गये है। प्रदेश में विकास कार्यो को गति प्रदान किये जाने हेतु इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कतिपय संशोधन किये गये है। अतः संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर ही त्वरित आर्थिक विकास योजना के कार्यान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। मार्गदर्शी सिद्धान्त सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

भवदीय,
24.09.2018
(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:29/2018/1084/35-4-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
2- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या।
3- समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।
4- समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता/प्रबन्ध निदेशक।
5- नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी।

आज्ञा से,
24/9/18
(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या:29/2018/1084/35-4-2018 का संलग्नक

त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त

क्र.सं.	नाम	त्वरित आर्थिक विकास योजना
1	उद्देश्य	प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करने हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में पूँजीगत प्रकृति के अवस्थापना सुविधाओं का विकास परिकल्पित है।
2	वित्तीय व्यवस्था	वित्तीय वर्ष के लिये योजनान्तर्गत बजट व्यवस्था के अधीन विकास कार्यों को वित्त पोषित किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित होने वाली परियोजनाओं/कार्यों का चयन यथा संभव बजट प्राविधान कराने के पूर्व कर लिया जायेगा ताकि चयनित कार्य मदों की बजट में समुचित व्यवस्था हो सके। अपरिहार्य परिस्थितियों में अपवादस्वरूप एकमुश्त बजट प्राविधान होने की दशा में बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के आलोक में परियोजनाओं/कार्यों का चयन समयबद्ध ढंग से इस प्रकार किया जायेगा कि धनराशि का उपयोग ससमय सुनिश्चित हो सके।
3	योजना का आच्छादन	योजनान्तर्गत मुख्य रूप से निम्न मदों के लिए पूँजीगत कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध हो सकेगी :- 1-राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय पॉलीटेक्निक/राजकीय आई0टी0आई0 के भवनों का निर्माण/ विस्तार। 2-स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित भवनों का निर्माण/विस्तार। 3-जलापूर्ति/मल जल/जल निकासी कार्यक्रम से संबंधित नये कार्य। 4-लघु सिंचाई कार्यक्रम। 5-वनीकरण कार्यक्रम। 6-विद्युतीकरण/विद्युत वितरण केन्द्र/विस्तार तथा भूमिगत विद्युत व्यवस्था। 7-शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था/सडकों का सुधार/सड़कों का पुनर्निर्माण/सड़कों का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण (अनुरक्षण/ मरम्मत के कार्य को छोडकर) 8-सेतु का निर्माण। 9-ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़क का निर्माण/सड़कों का पुनर्निर्माण/ सड़कों का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण (अनुरक्षण/मरम्मत के कार्य को छोडकर) 10-न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं के लिये चैम्बर/जनसुविधाओं का विकास 11-अन्य विभाग के विभागीय मानकों से आच्छादित पूँजीगत कार्य, जो समय-समय पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा चयनित किये जायेंगे।
4	प्रतिबन्ध	1- योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किये जाने वाले कार्य की लागत में भूमि अध्याप्ति की लागत सम्मिलित नहीं होगी। 2- योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु यथावश्यकता वन विभाग, पर्यावरण विभाग अथवा अन्य विभागों से आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त करने के साथ ही भूमि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य प्रशासकीय विभागों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। यह

क्र.सं.	नाम	त्वरित आर्थिक विकास योजना
		उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्थाओं का होगा। कार्य की स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। 3- योजना में प्रस्तावित कार्य के अन्तर्गत यदि भविष्य में कोई देयता सृजित होती है या मा० न्यायालय में कोई वाद उत्पन्न होता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग का होगा।
5	कार्यों का चयन	1- योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्त/जनप्रतिनिधि/ सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग/ ग्रामीण एवं शहरी निकायों के अध्यक्षों द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किये जा सकते हैं। 2- कार्यों के सम्पादन में जनसहयोग तथा जनमानस की भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुए विकास कार्यों के चयन में स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रभावोन्मुख विकास कार्यों को वरीयता प्रदान की जायेगी। 3- योजना में क्रिटिकल गैप्स को पूरा करने वाले कार्यों को प्रशासकीय विभाग द्वारा प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। 4- योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों को प्रशासकीय अनुमोदन हेतु मा० मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकार किये गये प्रस्तावों को नियोजन विभाग द्वारा सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को संदर्भित किये जायेंगे। 5- सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के स्तर से कार्यों का परीक्षण विभागीय मानकों के अनुसार किया जायेगा। 6- विकास कार्यों को सम्पादित करने में पूर्ण पारदर्शिता रखी जायेगी, ताकि जनमानस की अपेक्षानुसार विकास कार्य सम्पन्न हो सके। 7- योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का प्रथम वरीयता पर उपयोग किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग के स्तर पर कार्य विशेष के लिए अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का सर्वप्रथम दोहन किया जायेगा। यदि कार्य विशेष के लिये अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधन श्रम अथवा अन्य किसी रूप में अथवा लाभार्थी अंश के रूप में प्राप्त होते हैं तो उन्हें भी विभाग द्वारा संज्ञान में लिया जायेगा। 8- योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन विभाग द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण कर विभागीय बजट तथा अन्य स्रोतों से धनराशि उपलब्ध होने की पुष्टि करते हुए निम्न सूचना का समावेश कर प्रस्ताव स्वीकृत करने हेतु नियोजन विभाग को संदर्भित किये जायेंगे:- 1- कार्य अन्य किसी योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं हुआ है और यदि स्वीकृत है तो अन्य स्रोतों से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और त्वरित आर्थिक विकास योजना से कितनी धनराशि स्वीकृत की जानी प्रस्तावित है। 2- कार्य के सम्बन्ध में विभागीय संस्तुति। 3- आगणन के मूल्यांकन की स्थिति। 4- परिसम्पत्ति के मूल्यांकन सृजन के उपरान्त रखरखाव की वचनबद्धता।

क्र.सं.	नाम	त्वरित आर्थिक विकास योजना
		5- संचालन व्यय को विभागीय बजट से वहन किये जाने की पुष्टि। 6- योजना के कार्य का मार्गदर्शी सिद्धान्तों से आच्छादित होना। 7- प्रस्तावित कार्यों का विभागीय मानकों से आच्छादित होने की पुष्टि। 8- परिसम्पत्तियों के सृजन के साथ ही कार्यदायी संस्था से उनके हस्तांतरण कराये जाने की वचनबद्धता। 9- भारत सरकार की किसी योजना से वित्त-पोषण की स्थिति। 10-परियोजना में राजस्व व्यय निहित होने की स्थिति में उसे विभागीय बजट से वहन करने की वचनबद्धता।
6	स्वीकृत धनराशि को रखे जाने की व्यवस्था	योजना के अंतर्गत कार्य/परियोजना विशेष के लिये स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रक्रिया तथा कार्यों की आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा। ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। योजना हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा। लेकिन डिपाजिट कार्यों के लिये प्राप्त धनराशियाँ सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" में जमा कर वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-ए-2-47/दस-97-10(9)/95 दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।
7	कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त किया जाना	योजना के अंतर्गत स्वीकृत किये गये कार्य को पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा समय-सारणी तैयार की जायेगी और उस समय-सारणी के अनुसार स्वीकृत की गई धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जायेगी।
8	कार्य के आगणन	योजना के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य के आगणन सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त गठित कराये जायेंगे, ताकि गठित आगणनों के पुनरीक्षण की आवश्यकता न पड़े। तदर्थ रूप से गठित आगणनों को योजना के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही एक बार स्वीकार किये गये आगणनों को पुनरीक्षित किये जाने का अवसर उपलब्ध हो सकेगा।
9	आगणनों के स्पेसीफिकेशन्स	विभिन्न विकास कार्यों के सम्बन्ध में तैयार किये जाने वाले आगणनों में मानकों के अनुसार सामान्य स्पेसीफिकेशन्स रखें जायेंगे। सामान्य स्पेसीफिकेशन्स से उच्च स्पेसीफिकेशन्स की स्थिति में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा औचित्य पूर्ण प्रस्ताव पर अन्तर-विभागीय सहमति के साथ मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
10	आगणनों/परियोजनाओं का मूल्यांकन	योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले कार्य के गठित आगणनों का मूल्यांकन वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया हेतु निर्गत शासनादेशों के अनुसार यथास्थिति सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग एवं व्यय वित्त समिति से मूल्यांकित/अनुमोदित कराया जायेगा। यह दायित्व सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग का होगा।
11	कार्यों की प्राथमिकता	योजना में लिए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्धारित करते हुए नियोजन विभाग को प्रस्ताव संदर्भित किये जायेंगे, ताकि नियोजन विभाग के स्तर पर समग्र रूप से प्राथमिकता

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>नाम</th><th>त्वरित आर्थिक विकास योजना</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>वाले कार्यों को पहले लिया जा सके।</td></tr>
<tr><td>1</td><td>निर्माण एजेंसी/ कार्यदायी संस्थाओं का चयन</td><td>सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग के यथा संशोधित शासनादेश सं0-ई-8-215/दस-1998-648/1994 दिनांक 9 मार्च, 1998 के साथ पठित शासनादेश सं0-ई-8-303/दस-06-89/2204 दिनांक 2 मार्च, 2006 , शासनादेश सं0-ई-8-157/दस-2013-1074/2012 दिनांक 12 फरवरी, 2013 एवं शासनादेश सं0-6/2015/ई-8-1320/दस-2015-53/2005 दिनांक 18 नवम्बर, 2015 तथा समय समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए कार्यदायी संस्था/निर्माण एजेंसी का चयन इस प्रकार किया जायेगा कि निर्माण कार्य विभागों द्वारा ही सम्पादित हों। सड़कों एवं पुलों के सम्बन्ध में निर्माण एजेन्सी लोक निर्माण विभाग, 30 मी0 से अधिक लम्बाई के पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, पेयजल/जल निकासी/मल-जल के लिये उ0प्र0 जल निगम निर्माण एजेन्सी होगी। अन्य निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग की स्वयं की निर्माण इकाई अथवा उसके अधीन सार्वजनिक उपक्रम की निर्माण इकाई निर्माण एजेन्सी होगी। जिन विभागों में स्वयं की अथवा उनके अधीन सार्वजनिक उपक्रम की निर्माण इकाई नहीं है, उन विभागों के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा राजकीय विभागों की निर्माण एजेन्सियों को चयनित किया जायेगा। किसी भी दशा में निजी संस्था को निर्माण एजेन्सी के रूप में चयनित नहीं किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>13</td><td>प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायित्व</td><td>इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषित कार्यों में प्रशासकीय विभाग द्वारा सामान्य पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा गुणवत्ता-नियंत्रण का कार्य अपने विभागीय कार्यों की तरह ही किया जायेगा। योजना में आच्छादित कार्यों के सम्मुख इंगित विभाग प्रशासकीय विभाग के रूप में होंगे:-
<table>
<tr><th></th><th>योजना/मद/कार्य</th><th>सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग</th></tr>
<tr><td>1</td><td>राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण/विस्तार</td><td>माध्यमिक शिक्षा विभाग</td></tr>
<tr><td>2</td><td>राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण/विस्तार</td><td>उच्च शिक्षा विभाग</td></tr>
<tr><td>3</td><td>राजकीय पॉलीटेक्निक के भवनों का निर्माण/विस्तार</td><td>प्राविधिक शिक्षा विभाग</td></tr>
<tr><td>4</td><td>राजकीय आई0टी0आई0 के भवनों का निर्माण/विस्तार</td><td>व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग</td></tr>
<tr><td>5</td><td>स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित भवनों के निर्माण कार्य</td><td>चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य विभाग</td></tr>
<tr><td>6</td><td>शहरी जलापूर्ति</td><td>नगर विकास विभाग</td></tr>
<tr><td>7</td><td>ग्रामीण जलापूर्ति</td><td>ग्राम्य विकास विभाग</td></tr>
<tr><td>8</td><td>मल-जल के कार्य</td><td>नगर विकास/ ग्राम्य विकास विभाग</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

क्र.सं.	नाम	त्वरित आर्थिक विकास योजना

9	जल निकासी कार्यक्रम	नगर विकास/ ग्राम्य विकास विभाग
10	लघु सिंचाई कार्यक्रम	लघु सिंचाई विभाग
11	वनीकरण	वन विभाग
12	विद्युतीकरण/विद्युत केन्द्र/विस्तार /भूमिगत विद्युत व्यवस्था	ऊर्जा विभाग
13	शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था सड़कों का सुधार/सड़कों का पुनर्निर्माण सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	नगर विकास विभाग
14	सेतु निर्माण	लोक निर्माण विभाग
15	ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़क/सड़कों का पुनर्निर्माण/सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	लोक निर्माण विभाग
16	न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं के लिये चैम्बर/जन-सुविधाओं का निर्माण	न्याय विभाग
17	अन्य पूजीगत कार्य जो समय-समय पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा चयनित होंगे, उन कार्यों के लिये संबंधित विभाग, प्रशासकीय विभाग होंगे।	

14	परिसम्पत्ति का हस्तान्तरण	योजना के अंतर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्ति कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण करने के पश्चात तत्काल संबंधित विभाग को हस्तांतरित की जायेगी।
15	परिसम्पत्ति का रख रखाव	योजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव, अनुरक्षण आदि की व्यवस्था सम्बन्धित नामित विभाग/एजेन्सी द्वारा अपने सामान्य बजट से की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत रख-रखाव/मरम्मत हेतु कोई धनराशि देय नहीं होगी।
16	प्रशासनिक/ आकस्मिक व्यय तथा सेन्टेज चार्ज	किसी कार्य विशेष को सार्वजनिक उपक्रमों से कराये जाने की स्थिति में समय-समय पर जारी वित्त विभाग के आदेशों के अन्तर्गत देय सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा। कार्यदायी संस्थाओं को नियमानुसार अनुमन्य सेन्टेज चार्ज से भिन्न किसी प्रकार का प्रशासनिक/आकस्मिक व्यय देय नहीं होगा।
17	परिसम्पत्तियों का सृजन	योजना के अंतर्गत केवल पूंजीगत निर्माण हेतु ही धनराशि उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार योजना से उपलब्ध धनराशि से केवल परिसम्पत्तियों का सृजन होगा। योजना के अंतर्गत राजस्व व्यय अनुमन्य नहीं है और सम्बन्धित विभाग द्वारा अपने बजट से राजस्व व्यय को वहन किया जायेगा।
18	आडिट की व्यवस्था	अन्य शासकीय कार्यों की भॉति योजना के अंतर्गत होने वाले व्यय का नियमानुसार आडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित होगा।
19	अवशेष धनराशि यदि कोई हो	योजना के अंतर्गत कार्य विशेष के लिये स्वीकृत की गई धनराशि में से कार्य पूर्ण होने के बाद यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे कार्य पूर्ण होने के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा किया जायेगा और उसकी सूचना नियोजन विभाग, वित्त विभाग तथा सम्बन्धित प्रशासकीय

क्र.सं.	नाम	त्वरित आर्थिक विकास योजना
		विभाग को दी जायेगी।
20	कार्यों की गुणवत्ता / थर्ड पार्टी से निरीक्षण	कार्यों की विभागीय मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था, मण्डलायुक्त तथा जनपद के जिलाधिकारी से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी। कार्यों की गुणवत्ता के निरीक्षण हेतु निम्न व्यवस्था अपनायी जायेगी:- 1- रू. 5.00 करोड़ से रू. 50.00 करोड़ तक की लागत के कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण जिलाधिकारी द्वारा गठित जनपद स्तरीय समिति से कराया जायेगा। 2- रू. 50.00 करोड़ से अधिक की लागत के कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण थर्ड पार्टी द्वारा कराया जायेगा।
21	कार्यों की पुनरावृत्ति पर रोक	सम्बन्धित विभाग का यह दायित्व होगा कि योजना के अंतर्गत कार्य स्वीकृत करने की संस्तुति करने हेतु अन्य किसी योजना में उस कार्य को न लिये जाने की पुष्टि की जायेगी। सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही स्वीकृति प्रस्तावित है अथवा अन्य किसी स्रोत से वित्त पोषित योजना के अंतर्गत वह कार्य सम्मिलित है।
22	आगणनों की तकनीकी स्वीकृति	योजना के अंतर्गत लिये गये कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व आगणनों/अनुमानों पर यथाविधि सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
23	कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण	कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा स्वयं के कार्य की भाँति किया जायेगा।
24	कार्यों का मूल्यांकन	कार्यदायी संस्था द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा समय-समय पर कराया जायेगा और वस्तुस्थिति की रिपोर्ट नियोजन विभाग को भी प्रस्तुत की जायेगी।
25	मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण	सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की मासिक रिपोर्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त करके प्रत्येक माह की 7 तारीख तक नियोजन विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। इसके साथ ही जिला स्तर से जिलाधिकारी द्वारा जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी के माध्यम से प्रगति विवरण नियोजन विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा। जिला स्तर पर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा तथा जिला अधिकारी के मार्गदर्शन में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं से नियमित रूप से समन्वय बनाये रखेगा।
26	पारदर्शिता	विकास कार्यों को सम्पादित करने से पूर्व पारदर्शिता बरती जायेगी, ताकि जनमानस की अपेक्षानुसार विकास कार्य सम्पादित हो सकें।
27	कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	विकास विभागों से प्राप्त प्रस्तावों का नियोजन विभाग के स्तर पर आवश्यक परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी, जिसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, प्रशासकीय विभाग, वित्त विभाग तथा अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	नाम	त्वरित आर्थिक विकास योजना
		सम्बन्धितों को प्रेषित की जायेगी।
28	अन्य संसाधनों से डवटेलिंग	योजना के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त अन्य स्रोतो से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का प्रथम वरीयता पर उपयोग किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग के स्तर पर कार्य विशेष के लिये अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का सर्वप्रथम दोहन किया जायेगा। यदि कार्य विशेष के लिये अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधन श्रम अथवा अन्य किसी रूप में अथवा लाभार्थी अंश के रूप में प्राप्त होते है और होने है, तो उन्हें भी विभाग द्वारा संज्ञान में लिया जायेगा और ऐसे संसाधनों की प्राप्ति परियोजना/कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
29	प्रक्रिया	1- योजना से वित्त पोषित होने वाली परियोजनाओं के नियोजन विभाग को संदर्भित होने वाले प्रस्ताव सर्वप्रथम कार्यों के चयन हेतु उच्च स्तरीय (मा0 मुख्यमंत्री जी) निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे। तदोपरान्त स्वीकार किये गये प्रस्तावों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराने हेतु नियोजन विभाग के स्तर से संबंधित प्रशासकीय विभागों को प्रस्ताव संदर्भित किये जायेंगे। सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्यों के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधीन परीक्षणोंपरान्त कार्यों की प्राथमिकता के क्रम में औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रस्ताव नियोजन विभाग को पत्रावली पर प्रस्तुत किये जायेंगे। 2- योजना से वित्त पोषित होने वाली किसी परियोजनाओं में वन एवं वन्यजीव विभाग से संबंधित कोई प्रकरण/क्षेत्र आता है तो उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत वन एवं वन्य जीव विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी। 3- प्रशासनिक विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बजट मैनुअल तथा इस संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार परीक्षणोंपरान्त जारी की जायेगी।
30	विकास कार्यों की अनुमन्यता	1- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय पॉलीटेक्निक/राजकीय आई0टी0आई0 के भवनों का निर्माण/ विस्तार के अंतर्गत प्रथम वरीयता पर भवनहीन विद्यालयों के भवन निर्माण के कार्य तथा द्वितीय वरीयता पर विस्तार अंश में 10 लाख से अधिक लागत के मानक के अनुसार नवीन कार्य। 2- स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित भवनों का निर्माण/विस्तार के अंतर्गत प्रथम वरीयता पर भवनहीन प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/चिकित्सालयों के भवन निर्माण के कार्य तथा द्वितीय वरीयता पर विस्तार अंश में 10 लाख अथवा अधिक के मानक के अनुसार नवीन कार्य। 3- जलापूर्ति सम्बन्धी पाईप वाटर सप्लाई के कार्य तथा नये हैण्डपम्प/रिबोर अधिष्ठापन से सम्बन्धित विभागीय मानक से आच्छादित कार्य एवं शहरी क्षेत्रों में सबमर्सिबल पम्प से जलापूर्ति का कार्य। 4- मल जल से सम्बन्धित रू0 25 लाख अथवा उससे अधिक लागत

क्र.सं.	नाम	त्वरित आर्थिक विकास योजना
		वाले कार्य। 5- शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य। 6- लघु सिंचाई कार्यक्रम सम्बन्धित कार्य। 7- विद्युतीकरण/विद्युत केन्द्र/विस्तार/भूमिगत विद्युत व्यवस्था से सम्बन्धित प्रत्येक कार्य की लागत रू0 25 लाख अथवा उससे अधिक लागत वाले कार्य। 8- शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था सम्बन्धी कार्य। 9- 30 मी0 से अधिक लम्बाई के सेतु निर्माण कार्य। 10-ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण /सड़कों का पुनर्निर्माण/ सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (अनुरक्षण एवं मरम्मत को छोड़कर) जिनकी लम्बाई 3.00 किमी0 अथवा उससे अधिक है। 11-शहरी क्षेत्रों में सड़कों का सुधार जिसमें गलिया भी सम्मिलित होगी/ सड़कों का पुनर्निर्माण/सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (अनुरक्षण एवं मरम्मत को छोड़कर) सम्बन्धी कार्य। 12-विभिन्न न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं के लिये चैम्बर/ पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/ अधिवक्ता हाल तथा अन्य जनसुविधाओं का निर्माण सम्बन्धी कार्य। 13-वनीकरण के नवीन कार्य। 14-अन्य पूंजीगत कार्य, जो समय-समय पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा चयनित किये जायेंगे।
31	परिवर्तन/ परिमार्जन/ शिथिलीकरण	विशेष परिस्थितियों में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन/शिथिलीकरण तथा नये मदों को सम्मिलित किया जा सकेगा।

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in